भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश
जनपद-अलीगढ़

जिला मुख्यालय/कार्यालय : बाबू लाल जैन इन्टर कॉलेज
अलीगढ़ 202001 (उ०प्र०)
ईमेल : upbsgaligarh@gmail.com

पत्रांक सं० : BSGALG-32-39/2023-24 O/C

दिनांक : 30.06.2023

प्रेषक,

जिला सचिव,
भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०,
जनपद–अलीगढ़।

सेवा में,

सुश्री कंचन जैन पुत्री श्री विपिन कुमार जैन,
पता– कृष्णा पुरी मठिया, गली नं०– 04,
जनपद–अलीगढ़- 202001 (उ०प्र०)

विषय– जि०वि०नि०/जिला मुख्यायुक्त (भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०, अलीगढ़) के कार्यालय में प्राप्त आपके स्पष्टीकरण के पत्र के सम्बंध में।

महोदया,

आपको अवगत कराना है कि जिला संस्था द्वारा प्रेषित पत्र संख्या BSGALG-21-26/2023-24 तथा BSGALG-27-31/2023-24 क्रमशः दिनांक– 25 एंव 27 मई, 2023 में मांगे गये स्पष्टीकरण व साक्ष्य आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अपितु पूर्व में प्रेषित पत्रों की भांति इस बार भी बिना साक्ष्य दिये अनर्गल आरोप ही लगाये है।

जबकि पत्र संख्या BSGALG-02/2022-23 दिनांक 16.08.2022 में मांगे गये स्पष्टीकरण का कोई भी उत्तर आपने नहीं दिया है जोकि निम्न प्रकार है–

1. यह है कि पत्र संख्या BSGALG-02/2022-23 दिनांक 16.08.2022 को मांगे गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या (2) कि स्थापना दिवस के स्टीकर को आप द्वारा लौटा दिया गया किन्तु तब तक उन लौटाये गये स्टीकरो से जनपद एंव प्रादेशिक संस्था को राजस्व की हानि हो चुकी थी।
2. यह है कि इसी पत्र में बिन्दु संख्या (1) कि आपने संस्था के किस पदाधिकारी को संज्ञान में या अनुमति लेकर विद्यालयों को दल/कम्पनी के पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क को अपने पास जमा करानें हेतु आमंत्रित किया।
3. यह है कि इसी पत्र के बिन्दु संख्या (3/4) के अनुसार संस्था का लैटर पैड स्वंय बनाकर अपने व्यक्तिगत हित एंव शिकायतों के लिये प्रयोग संस्था के किस पदाधिकारी के संज्ञान/अनुमति लेकर किया।
4. यह है कि इसी पत्र के बिन्दु संख्या (5) कि आप अपने पत्रों में (डॉ०) कंचन जैन का उल्लेख करती है या प्रयोग करती है अतः डाक्टरेट की उपाधि आपने किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की आपके द्वारा इस बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया गया है।
5. यह है कि इसी पत्र के बिन्दु संख्या (6) कि आप रोवर्स/रेंजर्स लीडर्स की बैठक जोकि धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ में हुई थी उसमें आप किस अधिकार से सम्मलित हुई थीं जबकि आप स्वतंत्र गाइड कम्पनी की लीडर है।

आपके द्वारा प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित है :–

1. यह है कि दिनांक– 09 मई, 2023 को आहूत इस जिला कार्यकारिणी की बैठक की सूचना जिला सचिव/जिला कोषाध्यक्ष को नहीं दी गई। जबकि बैठक हेतु सूचना पत्र स्वंय जिला सचिव द्वारा ही जारी किया गया था।

Seen
Seen

2. यह है कि इसी पत्र के बिन्दु संख्या (3) कि प्राइवेट एन0जी0ओ0 में सरकारी शिक्षण संस्था में कार्यरत अधिकारी/प्रधानाचार्य/शिक्षक किस अधिकार से कार्य कर रहें है अतः महोदया भारत स्काउट और गाइड संस्था सन् 1981 से उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संचालित है तथा राज्य के मा0 शिक्षा निदेशक द्वारा भी पत्र जारी कर विद्यालयों में स्काउट/गाइड की गतिविधियों को बढ़ाया देने के लिए निर्देश दिये गये है। इन्हीं निर्देशों के तहत विद्यालयों के वैतनिक प्रधनाचार्यगण एंव शिक्षकगण ही पाठ्य सहगामी किया कलापों के अन्तर्गत ही स्काउट/गाइड कियाकलापों को कराते है। शिक्षकों के सहयोग के बिना स्काउट/गाइड की विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित करवाना संभव नहीं है।

3. यह है कि आपने पूछा कि वित्तीय अनियमित्ता एंव अनुशासनहीनता एंव अविधिक कृत्य क्या है? इस सन्दर्भ में कहना है कि आपके द्वारा स्पष्टीकरण न देना, स्टीकरो को निष्प्रयोग बना देना तथा बैठक में अनुशासनहीनता व बिना संज्ञान/अनुमति लेकर संस्था एंव संस्था के पदाधिकारीयों को अपने कृत्यो से बदनाम करने की साजिश करना किस प्रकार के कृत्यों में आता है।

4. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (1) में आप किस सम्बंध में क्या कहना चाहती है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

5. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (2) के सम्बंध में यह है कि अगर कोई पदाधिकारी अनुपस्थित/उपलब्ध नहीं है उस परिस्थति में उसके समकक्ष पदाधिकारी ही कार्य करता है। अतः यह सुस्पष्ट है।

6. यह है कि बिन्दु संख्या (3) का उचित स्पष्टीकरण ऊपर दिया जा चुका है इससे अधिक स्पष्ट उत्तर आप भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के प्रादेशिक उच्च पदाधिकारीयों से प्राप्त करें।

7. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (4) कि बी0एड0/डी0एल0एड0 के शिविर में प्रशिक्षक हेतु सीनियर एचडब्लूबी व रियूनियन होना कोई आवश्यक नहीं है। एचडब्लूबी किये हुए जो प्रशिक्षक शिविर के लिये उपलब्ध होते है उन्ही की प्रशिक्षण शिविर के दौरान ड्यूटी लगायी जाती है।

8. यह है कि बिन्दु संख्या (5) जिसके सम्बंध में कहना है कि वर्ष 2018 से डॉ0 शुभिका ही जिला संगठन आयुक्त (गाइड) पद पर कार्यरत है। इस पद हेतु जिला संस्था ने उनके नाम की संस्तुति की तथा निरन्तर वह इस पद पर कार्य कर रहीं है और प्रादेशिक संस्था द्वारा उन्हें अधिकार पत्र भी प्रदान किया जा चुका है। इस हेतु आप प्रादेशिक मुख्यालय से पुष्टि कर लें।

9. यह है कि बिन्दु संख्या (6) जिसमें श्रीमती ज्योति भार्गव बी0एड0/डी0एल.एड0 शिविरों में इसलिये प्रशिक्षक नियुक्ति करती है क्योंकि वह प्रादेशि संस्था द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) अलीगढ़ है तथा प्रशिक्षकों की नियुक्त एएसओसी की सहमती से और प्रशिक्षको की उपलब्धता के आधार पर ही की जाती है।

10. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (7) कि श्री कुलदीप सक्सैना, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) को प्रादेशिक संस्था से ही अधिकार प्राप्त है। अतः बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों का निरीक्षण करना उनके कर्तव्यों में सम्मलित है अतः स्काउटिंग की विधाओं को शिविरार्थियों को स्पष्ट करना भी उनका पूर्ण अधिकार है।

11. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (8) के अनुसार आपकी शिकायत का उत्तर प्रादेशिक मुख्यालय को दिया जा चुका है। वहीं से पुष्टी करें।

12. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (9) के सम्बंध में यह कहना है कि डॉ0 अंजना कुमारी, समन्वयक रोवर्स/रेंजर्स (राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य वि0वि0 अलीगढ़) ने जो कहा वह सही था क्योंकि वह जिला परिषद की बैठक में उपस्थित थी जिसमें जिला कार्यकारिणी के आधको प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव की संस्तुती की गई थी।

13. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (10) के कम में यह नियम है कि जिला संस्था द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की संस्तुति प्रादेशिक संस्था को भेजी जाती है जहाँ से उन्हें अधिकार पत्र मिलता है किन्तु नियुक्ति पत्र जिला सचिव ही प्रदान करते है।

Seen Seen

4. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (11) के कम में कहना है कि आपकी कम्पनी के द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा करने जैसी कोई सूचना जिला संस्था के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा कि जिला संस्था द्वारा त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान करनें के लिये बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप से आप द्वारा सूचनाओं का संज्ञान लेकर अनैतिक तरीके से सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफार्मो पर तोड मरोडकर प्रस्तुत करना एंव आप द्वारा जिला संस्था एंव उसके पदाधिकारीयों पर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी छवि को धूमिल करनें के कारण आपको ग्रुप से प्रतिबंधित करना पड़ा।

15. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (12) के सन्दर्भ में आपका यह कहना है कि आपको जिला संस्था के पदाधिकारीगण आपके ज्ञानवर्धन व आगे बढ़ने से रोकते है जबकि आप ही यह बताती है कि जिला मुख्यायुक्त (भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, अलीगढ़) अर्थात जिले के मुखिया ने ही आपको प्रीएएलटी कोर्स करनें हेतु एडवांस/बेसिक कोर्स शिविरों को असिस्ट करनें की अनुमति दी। अतः आपका यह आरोप निराधार है कि जिला संस्था आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है किन्तु किसी को शिविर असिस्ट करनें की अनुमति देना पूर्णतः तथा अत्याधिक अधिकार मात्र शिविर संचालक का है चूंकि आप प्रादेशिक संस्था द्वारा सहायक नियुक्त नहीं थी इसीलिये यह विशेषाधिकार शिविर के संचालक का ही था। तथा डीओसी/डीटीसी को शिविर की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है अतः इनकी छुट्टी शिविर के सफल आयोजन हेतु आवश्यक थी।

16. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (13) के कम में कि जिला संस्था के पदाधिकारीयों ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार आपको स्पष्ट उत्तर दे दिये है।

17. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (14) के सम्बंध में जानकारी प्रादेशिक संस्था से प्राप्त करें।

18. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (15) के सम्बंध में जिला संस्था द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ही नियुक्त पदाधिकारीयों के अधिकार पत्र की संस्तुति प्रादेशिक संस्था से की गई तथा प्रादेशिक संस्था ने नियुक्ति पदाधिकारीयों को उनके अधिकार पत्र निर्गत किये है।

19. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (16) के सम्बंध में यह कहना है कि जिला संस्था एंव पदाधिकारीयों के विरूद्ध आपके अनैतिक कार्यो को देखते हुए आपका सहयोग कैसे किया जाए? साथ ही संज्ञान लें कि आपको जिला संस्था से प्रतिबंधित करनें का प्रस्ताव जिला कार्यकारिणी एंव जिला परिषद में पास हो चुका है।

20. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (17) का उत्तर कमांक ::19:: में दिया जा चुका है किन्तु आप बराबर एक ही आपत्ति कर रहीं है आप अगर प्रीएएलटी के लिये कोर्स प्रादेशिक संस्था की अनुमति से कर चुकी है फिर आप क्यों परेशान है?

21. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (18) में नियुक्ति के लिये हुए साक्षात्कार के समय आपकी व डॉ0 शुभिका की योग्यता समान थी। जिस आधार पर जिला संस्था ने उनको नियुक्त करके प्रादेशिक संस्था को संस्तुति भेज दी। इसीलिये प्रादेशिक संस्था द्वारा जिला संगठन आयुक्त (गाइड) अलीगढ़ पद पर डॉ0 शुभिका जी को अधिकार पत्र दिया जा चुका है तथा वर्तमान में वही इस पद पर कार्यरत है।

22. यह है कि आपके पत्र के बिन्दु संख्या (19) के जबाब के लिए संस्था की रूल बुक का अध्ययन करें।

कृपया आपके पत्र के उत्तर में उपर्युक्त बिन्दुयों का संज्ञान ले। आपने पूर्व में भी आपत्तियों का साक्ष्य सहित कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जबकि आपके द्वारा पूर्व तथा वर्तमान में माँगे गये प्रश्नों के यथोचित जबाब दे दिये गये है।

अतः सूच्य है कि सुश्री कंचन जैन पुत्री श्री विपिन कुमार जैन द्वारा स्काउट–गाइड भावना के विपरीत मर्यादा का उल्लंघन करना नितांत जारी है। आप द्वारा 24 घंटे अलग–अलग माध्यम से पत्रों को भेजने से ऐसी भावना प्रतीत होती है कि जिला संस्था 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके पत्रों और आपके द्वारा लगाये जा रहे तथ्यहीन/साक्ष्यहीन अनर्गल आरोप–प्रत्यारोपो का जबाब देनें में ही व्यस्थ रहें। आप द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जारी दबाव से जिला संस्था द्वारा संचालित

प्रशिक्षण कार्य एंव स्काउट/गाइड के कार्यक्रमों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। जिसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है। साथ ही इस संस्था से जुडे अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारीयों को भी आप द्वारा झूठे बयान जारी/प्रकाशित कराकर मानसिक ठेस पहुंचाने का प्रयत्न लगातार जारी है ऐसी स्थिती उत्पन्न होंने के कारण उन सभी का ध्यान कार्य करनें से विचलित हो रहा है साथ ही जिला संस्था की ख्याति को भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से दिन–प्रतिदिन नुकसान पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील है। आपने जिला संस्था के सभी पदाधिकारीयों की विन्रमता की सीमा से परे वह सारे कदम उठाये है जोकि पुनः आपके साथ कार्य करनें लिये सभी पदाधिकारीयों को बाधित कर रहें है। इसलिये जिला संस्था को निम्न कठोर कदम उठानें के लिये विवश होना पड़ रहा है।

अतः आपके कृत्यों को संज्ञान लेते हुए सुश्री कंचन जैन पुत्री श्री विपिन कुमार जैन को जिला संस्था अलीगढ़ से सम्बंधित समस्त पदों की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए एंव जनपद अलीगढ़ में स्काउट/गाइड से सम्बंधित समस्त कार्यो/कियाकलापों/कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्य/बैठक/सूचना देंने/सदस्यता/जिला कार्यालय में बिना अनुमति लिए प्रवेश इत्यादि सभी से प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही सुश्री कंचन जैन पुत्री श्री विपिन कुमार जैन द्वारा समाचार पत्रों/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/मीडिया/सोशल मीडिया पर प्रकाशित किसी भी स्काउट/गाइड से सम्बंधित किसी बयान/सूचना का उत्तरदायित्व जिला संस्था का न होगा।

कृपया चार पृष्ठीय सूचना का संज्ञान लें।

जिला सचिव
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0
अलीगढ़।

पृ0सं0: BSGALG-92-37/2023-24 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. जि0वि0नि0/जिला मुख्यायुक्त एंव समस्त पदाधिकारीगण, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, अलीगढ़।
6. समन्वयक रोवर्स–रेंजर्स, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

03/07/23

जिला सचिव
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0
अलीगढ़।

Seen

Seen